भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4346
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

राजस्थान में पीएमएमवी योजना

4346. **डॉ. मन्ना लाल रावतः**

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान में प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की जिला-वार संख्या कितनी है;
(ख) राजस्थान के उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में लाभार्थियों की ब्लॉक-वार और श्रेणी-वार संख्या कितनी है;
(ग) वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान राज्य को इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई;
(घ) लाभार्थियों की पहचान करने के लिए क्या तंत्र है; और
(ङ) इस योजना का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत शुरुआत से लेकर 15.12.2024 तक राजस्थान में नामांकित लाभार्थियों की जिलेवार संख्या **अनुलग्नक - I** में दी गई है।

(ख): राजस्थान के उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में नामांकित लाभार्थियों की जिला-वार और श्रेणी-वार संख्या **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

(ग): वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान पीएमएमवीवाई के तहत राजस्थान राज्य सरकार को जारी निधियों का केंद्रीय अंश क्रमशः 108.20 करोड़ रुपये, 81.84 करोड़ रुपये और 123.23 करोड़ रुपये है।

(घ): समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग की 18 वर्ष 7 महीने और 55 वर्ष की आयु की गर्भवती महिला एवं स्तनपान कराने वाली माताएं (पीडब्ल्यू और एलएम) पीएमएमवीवाई के तहत मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है बशर्ते उनके पहले दो जीवित बच्चों में दूसरा बच्चा लड़की हो। केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित नियोजन में लगे सभी पीडब्ल्यू एंड एलएम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही महिलाओं को इससे बाहर रखा गया है। समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग का निर्धारण करने के मानदंड इस प्रकार हैं:

i. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं।
ii. महिलाएं जो आंशिक रूप से (40%) या पूरी तरह से विकलांग (दिव्यांगजन) हैं
iii. बीपीएल राशन कार्ड धारक महिला
iv. आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत लाभार्थी महिलाएं
v. ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं
vi. महिला किसान जो किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी हैं
vii. मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं
viii. महिलाएं जिनकी निवल पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है
ix. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली एडब्ल्यूडब्ल्यू/एडब्ल्यूएच/आशा
x. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत राशन कार्ड धारक महिलाएं

(ङ): यह मंत्रालय संकल्प-महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) योजना के माध्यम से मातृत्व लाभ सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) कार्यकलाप जैसे प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स का प्रसारण, सेल्फी अभियान, घर-घर अभियान, सामुदायिक कार्यक्रम, जो क्षेत्रीय कर्मियों के स्तर पर

आयोजित किए जाते हैं, शामिल हैं। इसके अलावा, यह मंत्रालय समय-समय पर पीएमएमवीवाई के तहत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान भी चला रहा है।

*****

अनुलग्नक-I

'राजस्थान में पीएमएमवी योजना' के संबंध में डॉ. मन्ना लाल रावत द्वारा 20.12.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4346 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पीएमएमवी योजना के तहत शुरुआत से लेकर 15.12.2024 तक राजस्थान में नामांकित लाभार्थियों की जिलेवार संख्या

जिले का नाम	**नामांकित लाभार्थी**
अजमेर	1,00,674
अलवर	1,39,878
बांसवाड़ा	91,401
बारां	70,035
बाड़मेर	91,383
भरतपुर	1,07,733
भीलवाड़ा	1,04,273
बीकानेर	71,484
बूंदी	54,974
चित्तौड़गढ़	66,755
चुरू	88,440
दौसा	70,138
धौलपुर	61,471
डूंगरपुर	73,872
गंगानगर	86,713
हनुमानगढ़	81,056

जयपुर	2,05,763
जैसलमेर	20,164
जालौर	44,767
झालावाड़	74,296
झुंझुनूं	86,453
जोधपुर	1,18,480
करौली	58,663
कोटा	58,983
नागौर	1,16,115
पाली	81,087
प्रतापगढ़	45,797
राजसमंद	51,256
सवाई माधोपुर	55,605
सीकर	1,14,861
सिरोही	36,615
टोंक	69,825
उदयपुर	1,41,922

* 17 नव निर्मित जिलों के लाभार्थियों की गणना पहले से मौजूद जिलों में किया गया है।

अनुलग्नक-II

'राजस्थान में पीएमएमवी योजना' के संबंध में डॉ. मन्ना लाल रावत द्वारा 20.12.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4346 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पीएमएमवी योजना के तहत शुरुआत से लेकर 15.12.2024 तक राजस्थान के उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में नामांकित लाभार्थियों की जिलावार और श्रेणीवार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	नामांकित लाभार्थियों की संख्या		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य
1.	उदयपुर	9,705	77,643	54,572
2.	डूंगरपुर	2,751	57,849	13,270
3.	प्रतापगढ़	3,525	29,704	12,568
4.	सलुम्बर*	0	0	0

* सलुम्बर जिला पहले उदयपुर जिले का हिस्सा था। सलुम्बर के लाभार्थियों की गणना उदयपुर जिले में की गई है।

*****